

कार्यालय नगर पालिका परिषद हरदा जिला हरदा (म.प्र.)



Email-cmoharda@mpurban.gov.in

https://nagarpalikaharda.org


क्रमांक 2479 लोकनिर्माण / 2026

conn. 07577222238

Toll free No 18002331353

हरदा दिनांक 4/5/26

// आनलाईन निविदा //



निविदा प्रपत्र वेबसाईट पर दिनांक 2/5/26 से 22/5/26 तक कय की जा सकती है। बीड सबमीट 22/5/26 समय 5:30 तक पर देखी जा सकती है। निविदाओ में वित्तीय प्रस्ताव कार्य अनुबंध सेवा पर लागू जी.एस.टी. को छोडकर बुलाए जा रहे है। देयक प्रस्तुती के समय कार्य अनुबंध सेवा पर लागू जी.एस.टी.का भुगतान पृथक से अनुबंधकर्ता को किया जावेगा।

1	2	3	4	5	6	अनुमानित राशि रूपये		अमानत राशि रूपये	निविदा फार्म मूल्य रूपये	कार्य अवधि
1	2	3	4	5	6	PAC-7	GST-8	8	9	10
1	4949	4/5/26	वार्ड क्रं. 32 सुदामा नगर कॉलोनी में लीला बाई साहू के मकान से सुनीता माणिक के मकान तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	न.पा. निधि	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग आई.एस.एस. आर. दि.08. 11.2025 से प्रभावशील	576990	103858	5770	2000	2 माह
2	4950	4/5/26	वार्ड क्रं. 32 कुंजबिहार कॉलोनी में मुख्य मार्ग से बरजोर सिंह के मकान तक सी. सी.रोड निर्माण कार्य।			574578	103424	5746	2000	2 माह
3	4951	4/5/26	वार्ड क्रं. 26 नेहरू स्टेडियम के सामने गली नंबर 05 में सी.सी.रोड निर्माण कार्य।			941094	169397	9411	2000	2 माह
4	4952	4/5/26	वार्ड क्रं 17 श्यामा नगर कॉलोनी के ब्राह्मण समाज कॉलोनी में केशव उपाध्याय जी के मकान से पुरोहित के मकान तक सी.सी.रोड कार्य।			900384	162069	9004	2000	2 माह
5	4953	4/5/26	वार्ड क्रं. 16 रामनाथ सिरिया के मकान से मधुसुदन दुबे के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।			911935	164148	9119	2000	2 माह
6	4954	04/05/26	वार्ड क्रं. 18 नेहरू स्टेडियम गेट क्रमांक 02 के पास सार्वजनिक मूत्रालय निर्माण कार्य।			99093	17836	991	2000	2 माह

शर्त :-

1. निविदा की वैधता खोले जाने की दिनांक 120 दिन तक की होगी।
2. निविदा प्रपत्र कय करने से पूर्व ठेकेदार को उचित श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति फर्म की होने की दशा में साझेदारी की डीड एवं पावर आफ एटार्नी की प्रति प्रस्तुत करना होगी।
3. अमानत राशि आनलाईन भुगतान द्वारा / डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या सिस्टम जनरेटेड चालान के माध्यम से जमा करना होगा।
4. निर्माण कार्य प्रॉक्कलन ड्राईंग-डिजाईन एवं संबंधित अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में नगर पालिका लोक निर्माण शाखा से ली जा सकती है।
5. म.प्र. नगर पालिका लेखा एवं वित्त नियम 2018 का नियम 217 (ख) अनुसार निविदाकारो से अनुबंध संपादन के समय 3 प्रतिशत निष्पादन राशि कार्य की अनुमानित लागत मूल्य की जमा कराई जाना होगी।
6. ठेकेदार का ई.पी.एफ.पंजीयन होना अनिवार्य है।
7. कार्य में जी.एस.टी. नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।
8. अन्य शर्तें न.पा.के लोक निर्माण शाखा में कार्यालयीन समय पर देखी जा सकती है।
9. दरे 10 प्रतिशत आई.एस.एस.आर.से कम प्राप्त होने पर अतिरिक्त परफॉरमेंस गारन्टी जमा करवानी होगी।
10. 7 प्रतिशत सुरक्षा निधि प्रत्येक रनिंग देयक में से काटी जावेगी।
11. पृथक-पृथक देयको के पूर्व रॉयल्टी प्रस्तुत करना होगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद हरदा

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./रोड निर्माण/2025-26/ 31
प्रति,

नर्मदापुरम्, दिनांक - 14/8/28

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका हरदा,
जिला - हरदा।विषय:- वार्ड क्रं 26 नेहरू स्टेडियम के सामने गली नंबर 05 में सी.सी.रोड निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति।
संदर्भ:- Project Notification No. 100000266162 Project PW1-318-25-088.

---//---

विषयान्तर्गत, ई-नोटिफिकेशन द्वारा वार्ड क्रं 26 नेहरू स्टेडियम के सामने गली नंबर 05 में सी.सी.रोड निर्माण कार्य के प्राक्कलन का परीक्षण किया गया। निविदा लागत की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य किया जावे। निर्माण कार्य की क्रस्ट व पेवमेन्ट डिजाईन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलीटेक्निक कॉलेज से कराकर तदनुसार कार्य कराया जावे। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें। परीक्षण उपरान्त MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 238 के अनुसार तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

क्र	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील SOR का विवरण	राशि (लाख में)
1	वार्ड क्रं 26 नेहरू स्टेडियम के सामने गली नंबर 05 में सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	न.पा.निधि/ अनुदान	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग, आई. एस.एस.आर. दिनांक 02.08.2021 से प्रभावशील	8,04,640.10
			जी.एस.टी. 18%	1,44,835.00
			योग	9,49,475.00

शर्तें

1. मध्यप्रदेश नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. डामरीकरण के कार्य में लगने वाली सामग्री (मिक्स मटेरियल) की टेस्टिंग मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराने के साथ मिक्स मटेरियल के वजन की धर्मकांटे की रसीद ली जावे अथवा सडक के लेवल लिये जावे। प्रत्येक रनिंग देयक के साथ अधिकृत रिफायनरी के डामर के मूल बिल, रसीद अनिवार्य रूप से लिये जावे।
3. सी.सी.रोड निर्माण कार्य करने के पूर्व आई.आर.सी. कोड अनुसार क्रस्ट/पेवमेंट डिजाईन तथा मिक्स डिजाईन का परीक्षण शासकीय/मान्यता प्राप्त पालिटेक्निक/इंजीनियरिंग कालेज से कराया जाकर उसका अनुमोदन इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करें। अनुमोदित डिजाईन अनुसार कार्य कराए जाने पर कार्य की लागत में परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त की जावे। उक्त कार्य करवाने का दायित्व निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का रहेगा।
4. डब्ल्यू.वी.एम. (मेटल रोड) निर्माण के पूर्व मटेरियल का कलेक्शन इंद्राज माप पुस्तिका में करना सुनिश्चित करें एवं मटेरियल की टेस्टिंग शासकीय इंजीनियरिंग/पालिटेक्निक कालेज या अन्य शासकीय संस्था से कराना सुनिश्चित करें।
5. तथ्यों को छुपाकर निजी/अवैध कांलोनी में निर्माण करने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी, जिसके लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूर्णतः जवाबदार रहेंगे।
6. मध्यप्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के अनुरूप सक्षम स्वीकृती प्राप्त करना, बयाना जमा, निष्पादन प्रतिभूति सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
7. निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में ही किया जावे, अन्य विभाग की भूमि होने पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी अनापत्ती अथवा हस्तारण की कार्यवाही की जावे। निर्माण के दौरान खुदाई में प्राप्त सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जावे एवं स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे।
8. भूमि विवाद की स्थिति में अथवा शासकीय विभाग द्वारा आपत्ती ली जाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
9. बड़ी परियोजना, एकमुश्त प्रोजेक्ट, समान स्वरूप के कार्य को विभाजित कर, पृथक-पृथक ली गई तकनीकी स्वीकृती स्वतः निरस्त मानी जावेगी तथा इस तरह के कार्य को प्रस्तावित करने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
10. निर्माण कार्य के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे।
11. समस्त प्रकार के रोड निर्माण में कॉमन यूटीलिटी डक्ट का प्रावधान अनिवार्य रूप से किया जावे।
12. उक्त तकनीकी स्वीकृति मूल कार्य के लिए प्रदाय की जा रही है, रिवाइस्ट/सप्लीमेंट्री कार्यों के लिए नहीं। तथ्यों को छुपाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
13. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रु. 1.00 लाख अथवा उससे अधिक के करायें जाने वाले कार्यों के लिये ई-टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम से आहुत की जाना सुनिश्चित करें।
14. कार्य के प्राक्कलन के आयटम में परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी के किये जाने पर परिवर्तनकर्ता निकाय तकनीकी अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी पर दायित्व निर्धारण होगा। निर्माण कार्य के दौरान किसी पूरक कार्य/परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो लिखित पूर्व सूचना म0प्र0न0पा0ले0नि0 1961 नियम के प्रावधानिक प्रारूप में इस कार्यालय को देना होगा। अन्यथा पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाना संभव नहीं होगा।
15. निःशक्त जनों के लिए बाधा रहित धातावरण उपलब्ध कराया जाए। पैदल यात्रियों की सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात हेतु रोड सेफ्टी फीचर्स जैसे रोड साइनेज, टर्निंग प्वाइन्ट आदि लगाये जावे।
16. नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग के नियमानुसार आवश्यक स्थल अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जावे। नजूल एवं अन्य विभागों से आवश्यक एन.ओ.सी./सहमति भी प्राप्त की जावे।
17. निर्माण कार्य की लागत राशि रु. 25.00 लाख से अधिक होने पर स्थल पर प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेन्सी से कराई जाकर टेस्टेड मटेरियल ही उपयोग में लाया जावे।

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
यांत्रिकी प्रकोष्ठ, नर्मदापुरम् संभाग, नर्मदापुरम्

Harshvardhan Complex, Mata Mandir, Chouraha,
Bhopal (MP)- 462003
Email :- eenarmadapuram@mpurban.gov.in
Website :- www.mpurban.gov.in

18. निविदा सूचना में प्रावधान किया जाये कि निविदाकार को ई.पी.एफ. एवं लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।
19. उपरोक्त शर्तों की पूर्ति की जिम्मेदारी निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी।
20. निर्माण के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्यों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री/कांक्रीट आदि का शासकीय प्रयोगशाला परीक्षण निर्धारित आवृत्ति अनुसार कराया जावे। साथ-साथ उक्त सन्बंध में समय-समय पर वरिष्ठ कार्यालय से दिये गये निर्देशों का पालन किया जावे एवं परीक्षण रिपोर्ट के संतुष्टीपूर्ण परिणाम प्राप्त होने पर ही चल देयकों का भुगतान किया जावे। कार्य के चल देयक, भुगतान के पूर्व उपयोग की गई समस्त सामग्रियों एवं कांक्रीट की टेस्ट रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।
21. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 237 के प्रावधान अनुसार सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावे।
22. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 217 के अनुसार अर्नेस्ट मनी एवं प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य की जमा कराई जावे।
23. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 91, 92 एवं 93 के प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी।
24. कांक्रीट एम-20/30/40 कांक्रीट कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कांक्रीट हार्ड होने के पहले रोड की सेन्टरलाईन के परपेन्डिकुलर दोनों तरफ ब्रूमिंग की जावे।
25. तापमान 38 डिग्री सेन्टीग्रेड से अधिक होने की स्थिति में सीमेन्ट कांक्रीट का कार्य नहीं कराया जावे।
26. मौके की स्थिति अनुसार यदि किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है तो निर्माण के पूर्व नियमानुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे एवं स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे।
27. निर्माण कार्य की सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावे।
28. निर्माण कार्य निजी/अवैध कॉलोनी में नहीं किया जावेगा, यदि कार्य सम्पादित किया जाता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा एवं दी गयी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
29. कार्य टुकड़ों में/विभाजित होने की स्थिति में इसका दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा तथा उक्त स्थिति में प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
30. सी.सी. रोड की मिक्स एवं क्रस्ट डिजाईन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से कराई जाकर तदनुसार निर्माण कार्य स्थल पर कराया जावे एवं यदि क्रस्ट डिजाईन एवं मिक्स डिजाईन से कार्य की लागत में बढ़ोत्तरी होती है, तो बड़ी हुई लागत की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
31. निर्माण कार्य स्वयं के स्वामित्व/अधिपत्य की भूमि में किया जावे, निजी भूमि एवं अवैध कालोनी में निर्माण कार्य किये जाने अथवा तथ्यों को छुपाये जाने की दशा में जारी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अन्य किसी विभाग की भूमि होने पर संबंधित विभाग की एन.ओ.सी. अथवा भूमि स्थानान्तरण करवाये जाने के पश्चात प्रश्नाधिन कार्य काराया जावे। शर्तों का पालन नहीं करने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा। स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
32. निकाय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का यदि अंतिम मूल्यांकन किये बिना नवीन कार्य लिये जाने की दशा में किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति होने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
33. सी.सी. रोड़ निर्माण के दौरान Expansion, Contraction एवं Longitudnal Joints का प्रावधान अनिवार्य रूप से स्पेसिफिकेशन अनुसार किया जाकर Dowel एवं Tie Bar Reinforcement दिया जावे।
34. निकाय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का अंतिम मूल्यांकन करवाये बिना नवीन कार्य लिये जाने की दशा में अथवा निर्धारित डिजाईन औसत अवधि पूर्ण हुए बिना यदि पुनः नवीन/रिन्यूवल कार्य के रूप में कार्य लिए जाने पर किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति होने पर समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
35. निविदा आमंत्रण के पूर्व सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।
36. निविदा आमंत्रण पूर्व NON SOR ITEM का अनुमोदन विस्तृत Rate Analysis प्रस्तुत कर संभागीय कार्यालय से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करे।
37. If paver with electronic sensor, vibratory roller are not used at site and laying, compaction is done by any other method (The acceptance criteria regarding level, thickness, surface regularity, texture finish, strength of concrete and all other quality control measure shall be same as in case of machine laid work.) deductions in rates for the above is as per UADD ISSR 02.08.2021.

संलग्न- प्राक्कलन।

कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
नर्मदापुरम् संभाग, नर्मदापुरम्

Project Estimate

Project Details

Project Number: PW1-318-25-088

LB: Harda Nagar Palika

Work : W-26 Gall No 5 Me CC Road Renewal Karya

G/L Code : 4124011007 ROADS & BRIDGES-BRIDGES &

PAC 804,640

Total Submitted PAC(ULb):0.00

Department: Public Work Departme

Activity / SOR / NON SOR and WBS Details

WBSN O/SNO	Activity Number	Description	Count	L	B	H	Quantity	Unit	Price / Unit	Amount	Remarks
1/1.1	NIII-6.6	PROVIDING AND LAYING CEMENT CONCRETE GRADE M-20 (NOMINAL MIX 1:1.5:3) WITH 20 MM GRADED CRUSHED STONE AGGREGATE, MIXING SHALL BE IN MECHANICAL MIXER, LAYING WITH PAVER COMPACTING BY USE OF PIN, PLATE / SCREED VIBRATORS INCLUDING FORM WORK BY STRONG STEEL GIRDERS FIXED BY SPIKES, SEPARATION MEMBRANE 125 MICRON THICK, I/C CUTTING OF JOINTS @ 4 TO 5 M INTERVAL & FILLING IT WITH HOT APPLIED BITUMINOUS SEALANT (WITHOUT DOWEL BARS). (MAX. THICKNESS 20CM)"	1	160	5.00	0.20	160.000	M3	5420.00	867200.00	
1/2.1	NIII-6.7	DEDUCT FROM ITEM NO.6.2, 6.3 AND 6.6 ABOVE IF PAVER WITH ELECTRONIC SENSOR IS NOT USED AND LAYING, COMPACTION IS DONE BY ANY OTHER METHOD (NOTE :- THE ACCEPTANCE CRITERIA REGARDING LEVEL, THICKNESS, SURFACE REGULARITY, TEXTURE FINISH, STRENGTH OF CONCRETE AND ALL OTHER QUALITY CONTROL MEASURES SHALL BE THE SAME AS IN CASE OF MACHINE LAID WORK.) THIS ITEM IS TO BE EXECUTED WITH PRIOR WRITTEN PERMISSION OF ENGINEER- IN-CHARGE"	1	160	5.00	0.20	160.000	M3	-391.00	-62560.00	

Project Estimate

Project Details

Project Number: PW1-318-25-088
 ULB: Harda Nagar Palika
 Department: Public Work Departme

Work : W-26 Gali No 5 Me CC Road Renewal Karya
 G/L Code : 4124011007 ROADS & BRIDGES-BRIDGES &
 PAC 804,640

Total Submitted PAC(ULb):0.00

Activity / SOR / NON SOR and WBS Details

SNO	WBS NO	WBS Text	Amount
1	PW1-318-25-088.001	W-26 Gali No 5 Me CC Road Renewal Karya	804640.00
		Total PAC	804640.00

Created by (Sub eng / A.E) and digitally signed by : Hari Om Dogney SUB ENGG.
 IST: Aug 5, 2025 11:48:39 AM
 Harda Nagar Palika

Forwarded by (CMO / Comm) and digitally signed by : KAMLESH PATIDAR CMO
 IST: Aug 5, 2025 1:00:11 PM
 Harda Nagar Palika

GST 144,835.2
Gross 949,475.2

TECHNICAL SANCTION AS PER CONDITIONS,VIDE, Notification - 10000266162

Dated : 2025-08-14
 For Construction of : W-26 Gali No 5 Me CC Road Renewal Karya

At ward No : 1
 In Words : NINE LAKH FORTY NINE THOUSAND FOUR HUNDRED SEVENTY FIVE Rupees
 TWENTY Paise

Gross Granted for RS : 949475.20
 GST is 18% applicable on this project, Amount - 144835.20
 Checked by : Sub.Eng. / A.E(optional)

Checked by (Sub eng and digitally signed) IST: 12:00:00 AM

Checked by A.E and digitally signed IST: 12:00:00 AM

Note:

Assistant / Executive / Superintendent
 Engineer
 Urban Administration
 &
 Development, Narmadapuram Division

A.E/
 E.E/
 S.E

**SACHIN
 KADU**

Digitally signed by
 SACHIN KADU
 Date: 2025.08.14
 12:13:29 +05'30'



Scan to Verify TS

Important Note: Valid only after digital signature of CMO/Commissioner and EE